राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 736/2017/भीलवाडा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा। ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स स्टार कॉटस्पिन लिमिटेड,
गंगरार, भीलवाड़ा। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री के.जी.खत्री,
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 14/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 100/VAT/2015–16/भीलवाड़ा में पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 3,48,528/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 14.10.2015 को वाहन संख्या GJ-18-AV-8047 को खेरवाडा टोल नाके के पास रोक कर चैक किया गया। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जांच अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 मैन्युअल रूप से (हाथ से) भरा पाया गया, जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.05.2015 संशोधन दिनांक 01.06.2015 के अनुसार सकल पण्यावर्त 25 लाख से अधिक होने पर परिवहनित माल के साथ ऑनलाईन वैट–47 का होना आवश्यक था। जांच अधिकारी द्वारा इसे धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानकर अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपण किये जाने हेतु नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिससें असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति राशि रूपये 3,48,528/– का आरोपण कर दिया।

लगातार........2

कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होने अपने आदेश दिनांक 27.10.2016 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.05.2015 संशोधन दिनांक 01.06.2015 के अनुसार जिन व्यवसाईयों की सकल पण्यावर्त 25 लाख से अधिक हो उनको राज्य बाहर से माल आयात पर होने पर परिवहनित माल के साथ ऑनलाईन वैट–47 का होना आवश्यक है, जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल के साथ मैन्युअल रूप से भरा वैट–47 संलग्न किया गया था, अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 76(2) का कोई उल्लंघन नही किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत मैन्युअल वैट–47 वैद्य था, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने अविधिक रूप से शास्ति का आरोपण कर दिया। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त जांच परिवहनित माल के साथ मैन्युअल रूप से भरा वैट–47 पाया गया, जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.05.2015 संशोधन दिनांक 01.06.2015 के अनुसार सकल पण्यावर्त 25 लाख से अधिक होने पर परिवहनित माल के साथ ऑनलाईन वैट–47 का होना आवश्यक था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन माना। इसके लिए सर्वप्रथम प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार हैः–

> **76(2)(b) Carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or dispach memos.**

7. उक्त प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल–बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, इस पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैन्युअल रूप से भरा घोषणा प्रपंत्र वैट–47 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इस संबंध में **माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 766, 767, 768/2017/बीकानेर एसीटीओ बनाम महावीर कॉर्पोरेशन निर्णय दिनांक** 02.04.2018 में मैन्युअल रूप से प्रस्तुत

लगातार........3

घोषणा प्रप्रत्र प्रस्तुत किये जाने को मात्र एक तकनीकी भूल माना है, जिसे अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

8. अतः माननीय कर बोर्ड के निर्णय के आलौक में अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य